

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), संगरिया  
पीठासीन अधिकारी :- राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)  
प्रकरण सं. 452/2024  
वाद अ. धारा 88 आर.टी.ए.

बलकरण सिंह पुत्र श्री बलदेव सिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील  
संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

- वादी

- |                                                               | बनाम्     |       |        |         |       |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------|---------|-------|
| 1. बलदेव सिंह पुत्र श्री हरनाम संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)   | सिंह जाति | जटसिख | निवासी | संतपुरा | तहसील |
| 2. गुरचरण सिंह पुत्र श्री बलदेव संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)  | सिंह जाति | जटसिख | निवासी | संतपुरा | तहसील |
| 3. कर्मजीत कौर पुत्री श्री बलदेव संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) | सिंह जाति | जटसिख | निवासी | संतपुरा | तहसील |
| 4. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।                                  |           |       |        |         |       |

उपरिस्थिति :-

- प्रतिवादीगण

वादीगण की ओर से  
प्रतिवादी की ओर से

:- श्री महावीर बेरड़, एडवोकेट  
:- श्री कुलदीप मुण्ड, एडवोकेट

निर्णय दिनांक :- 14.8.24

वादी बलकरण सिंह ने प्रतिवादीगण बलदेव सिंह वगैरा के विरुद्ध यह राजस्व वाद बाबत घोषणा का इस न्यायालय में पेश किया कि यह कि प्रतिवादी सं. 1 वादी का पिता एवं प्रतिवादी सं. 2 वादी का भाई एवं प्रतिवादी सं. 3 वादी की बहिन हैं जो कि एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य हैं। वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 व 3 के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 8 ए.एम.पी. के खाता सं. 91/70 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 1/3 हिस्सा यानि 0.759 है। कृषि भूमि, चक 1 एन.के.आर. के खाता सं. 44/67 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 1/3 हिस्सा यानि 0.468 है। कृषि भूमि, चक 3 ए.एम.पी. के खाता सं. 204/95 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में 1/3 हिस्सा यानि 0.31625 है। कृषि भूमि, चक 4 ए.एम.पी. के खाता सं. 169/11 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 1/3 हिस्सा यानि 0.3563 है। कृषि भूमि तथा चक 4 ए.एम.पी. के खाता सं. 85/61 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 0.232 है। कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चक के खातों की जमाबन्दीयों की प्रमाणित प्रतिलिपियां सलंग्न वाद पत्र है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में बंटवारानुसार दर्ज नहीं होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के अन्य लोगों के प्रभाव में होने व उक्त भूमि की आय का अपने निजी व्यसनों पर खर्च करने के कारण वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के मध्य विवाद हो गया व आपस में कट्टता पैदा हो गई इस पर रिश्तेदारों आदि ने जरिये पंचायत वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के मध्य राजीनामा व बंटवारा करवा दिया। जिसमें प्रतिवादी सं. 3 ने अपने हक व हिस्सा का परित्याग वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के पक्ष में बंटवारा अनुसार कर दिया। अब प्रतिवादी सं. 3 का उक्त कृषि भूमि में कोई हक व हिस्सा शेष नहीं रहा है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का वर्णन निम्न प्रकार से हैं:-

वादी बलकरण सिंह पुत्र श्री बलदेव सिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि:-  
तहसील संगरिया के चक 8 ए.एम.पी. के खाता सं. 91/70 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 0.506 है। कृषि भूमि  
तहसील संगरिया के चक 1 एन.के.आर. के खाता सं. 44/67 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 1/3 हिस्सा यानि 0.468 है। कृषि भूमि  
तहसील संगरिया के चक 3 ए.एम.पी. के खाता सं. 204/95 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में 1/3 हिस्सा यानि 0.31625 है। कृषि भूमि में से 1/2 हिस्सा  
लगातार --2

महायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया

प्रतिवादी सं. 1 बलदेव सिंह पुत्र श्री हरनाम सिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि:-

तहसील संगरिया के चक 8 ए.एम.पी. के खाता सं. 91/70 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 0.253 है. कृषि भूमि

प्रतिवादी सं. 2 गुरचरण सिंह पुत्र श्री बलदेव सिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि:-

तहसील संगरिया के चक 3 ए.एम.पी. के खाता सं. 204/95 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में 1/3 हिस्सा यानि 0.31625 है. कृषि भूमि में से 1/2 हिस्सा

तहसील संगरिया के चक 4 ए.एम.पी. के खाता सं. 169/11 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 1/3 हिस्सा यानि 0.3563 है. कृषि भूमि

तहसील संगरिया के चक 4 ए.एम.पी. के खाता सं. 85/61 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 0.232 है. कृषि भूमि

यह कि वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी एवं

का हित एवं स्वत्व निहित है। वाद पत्र की चरण सं. 3 के अनुसार वादी आतेदार काशतकार होने की घोषणा करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है। यह कि

वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का हित एवं

स्वत्व निहित है। वादी ने वाद पत्र की चरण सं. 3 के अनुसार वादी आतेदार काशतकार होने की घोषणा करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादी सं. 1 ता 3 टाल मटोल करते रहे, आखिर गत् सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार

हो गये। बस यही वाद कारण है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाद पत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 3 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति के

जवाब दावे प्रस्तुत किये गये, जो शामिल मिसल किये गये। प्रतिवादी सं. 4 का जवाब स्टेट पेश हुआ। जो शामिल मिसल किया गया। वाद पत्र के समर्थन में

वादी के द्वारा तहसील संगरिया के चक 8 ए.एम.पी. के खाता सं. 91/70 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74, चक 1 एन.के.आर. के खाता सं. 44/67

जमाबन्दी सम्वत् 2073-76, चक 3 ए.एम.पी. के खाता सं. 204/95 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75, चक 4 ए.एम.पी. के खाता सं. 169/11

जमाबन्दी सम्वत् 2071-74, चक 4 ए.एम.पी. के खाता सं. 85/61 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 की प्रतियां पेश की गईं जो प्रदर्श-1 ता 5 है। साक्ष्य वादी में वादी का शपथ पत्र अ. धारा 18 नियम 4 व्य.प्र.सं. पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गईं।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादी के अभिभाषक ने कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 संयुक्त परिवार के सदस्य है तथा आपस में कोई विरोध नहीं है। प्रतिवादी सं. 1 ता 3 द्वारा अपने अधिवक्ता के

माध्यम से सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत किये गये। वाद पत्र में घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। बहस में वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 3 ने सहमति के जवाब दावे अनुसार वाद पत्र डिक्री किये जाने पर सहमति दी।

वकील वादी ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। जिसका वकील प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया।

वाद पत्र में वर्णित आराजी वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 व 3 के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 8 ए.एम.पी. के खाता सं. 91/70 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 1/3 हिस्सा यानि 0.759 है. कृषि

भूमि, चक 1 एन.के.आर. के खाता सं. 44/67 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 1/3 हिस्सा यानि 0.468 है. कृषि भूमि, चक 3 ए.एम.पी. के खाता सं. 204/95 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में 1/3 हिस्सा यानि 0.31625 है.

कृषि भूमि, चक 4 ए.एम.पी. के खाता सं. 169/11 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 1/3 हिस्सा यानि 0.3563 है. कृषि भूमि तथा चक 4 ए.एम.पी. के खाता सं. 85/61 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 0.232 है. कृषि

भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रतिवादी सं. 1 ता 3 द्वारा सहमति के जवाब दावे लगातार --3

महायक जज एवं उपबन्ध अधिकारी संगरिया

प्रस्तुत करने के कारण तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि संयुक्त परिवार की संयुक्त कृषि भूमि है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 3 एक ही परिवार के सदस्य है। वाद पत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नहीं आया है। वाद पत्र मुताबिक सहमति के जवाब दावे अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

**-:: क्रियात्मक आदेश ::-**

अतः वाद वादी मुताबिक वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 व 3 के पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 8 ए.एम.पी. के खाता सं. 91/70 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 1/3 हिस्सा यानि 0.759 है। कृषि भूमि में से वादी को 0.506 है। कृषि भूमि का खातेदार काशतकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 को हिस्सा कम किया जावे। चक 1 एन.के.आर. के खाता सं. 44/67 जमाबन्दी सम्वत् 2073-76 में 1/3 हिस्सा यानि 0.468 है। कृषि भूमि का वादी को खातेदार काशतकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जावे। चक 3 ए.एम.पी. के खाता सं. 204/95 जमाबन्दी सम्वत् 2072-75 में 1/3 हिस्सा यानि 0.31625 है। कृषि भूमि में से वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 को ब.हि.ब. के खातेदार काशतकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जावे। चक 4 ए.एम.पी. के खाता सं. 169/11 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 1/3 हिस्सा यानि 0.3563 है। कृषि भूमि का प्रतिवादी सं. 2 को खातेदार काशतकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जावे। तथा चक 4 ए.एम.पी. के खाता सं. 85/61 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 0.232 है। कृषि भूमि का प्रतिवादी सं. 2 को खातेदार काशतकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जावे।

नोट:- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादीगण हक आराजी बैंक रहन नहीं है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम किया दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 14.8.24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीना)  
सहायक क्लर्क एवं  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व),  
संगरिया

# डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया  
पीठासीन अधिकारी:- राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 452/2024

31

बलकरण सिंह पुत्र श्री बलदेव सिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया  
जिला हनुमानगढ़(राज.)

- वादी

बनाम

बलदेव सिंह पुत्र श्री हरनाम सिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया जिला  
हनुमानगढ़(राज.)

गुरचरण सिंह पुत्र श्री बलदेव सिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया  
जिला हनुमानगढ़(राज.)

कर्मजीत कौर पुत्री श्री बलदेव सिंह जाति जटसिख निवासी संतपुरा तहसील संगरिया  
जिला हनुमानगढ़(राज.)

तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

- प्रतिवादीगण

वाद पत्र अ. धारा 88 आर.टी.ए.

दिनांक :- .....

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.) के समक्ष  
वास्ते इनफिसाल कतई रोबरु हमारे बहाजरी श्री महावीर बेरड़ वकील वादी मिन जामिन  
मुदई श्री कुलदीप मुण्ड वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 3 मिन जानिब मुदायला पेश होकर  
हुकम दिया जाता हैं व यह डिक्री दी जाती है कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 व 3 के  
पिता प्रतिवादी सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 8 ए.एम.पी. के खाता सं.  
91/70 जमाबन्दी सम्बत् 2071-74 में 1/3 हिस्सा यानि 0.759 है. कृषि भूमि में  
से वादी को 0.506 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1  
को हिस्सा कम किया जावे। चक 1 एन.के.आर. के खाता सं. 44/67 जमाबन्दी सम्बत्  
2073-76 में 1/3 हिस्सा यानि 0.468 है. कृषि भूमि का वादी को खातेदार  
काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जावे। चक 3 ए.एम.पी.  
के खाता सं. 204/95 जमाबन्दी सम्बत् 2072-75 में 1/3 हिस्सा यानि 0.31625  
है. कृषि भूमि में से वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 को ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित  
कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जावे। चक 4 ए.एम.पी. के खाता सं.  
169/11 जमाबन्दी सम्बत् 2071-74 में 1/3 हिस्सा यानि 0.3563 है. कृषि भूमि  
का प्रतिवादी सं. 2 को खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम  
कलमजन किया जावे। तथा चक 4 ए.एम.पी. के खाता सं. 85/61 जमाबन्दी सम्बत्  
2071-74 में 0.232 है. कृषि भूमि का प्रतिवादी सं. 2 को खातेदार काश्तकार  
घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जावे।

नोट :- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादी हक आराजी बैंक रहन नही है तो अमल दरामद  
मुताबिक डिक्री किया जावे।

निज ..... निल ..... मुब्लिक ..... निल ..... बाबत् .....  
निल ..... खर्चा मुकदमें के मयशुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख  
वसूलयाबी तक ..... को अदा करे।

बसब्द मेरे दस्तख्त एवं मोहर अदालत से आज दिनांक 14.8.24 को  
जारी किया जाता है।

(राकेश कुमार मीना)  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),  
संगरिया  
संगरिया